

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या— उ०सं०वि०—२६/२००३ विभागीय अधिसूचना संख्या ६४७ दिनांक १७.०२.२००४, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ८(ए) एवं ८(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में किशनगंज, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| १ | जिला समाहर्ता | — | अध्यक्ष |
| २ | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | — | सदस्य सचिव |
| (क) | जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| ३ | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | | सदस्य |
| ४ | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | — | सदस्य |
| (ख) | विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| ५ | उप विकास आयुक्त | — | सदस्य |
| ६ | जिला शल्य चिकित्सक | — | सदस्य |
| ७ | जिला कल्याण पदाधिकारी | — | सदस्य |
| ८ | जिला शिक्षा पदाधिकारी | — | सदस्य |
| ९ | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | — | सदस्य |
| १० | अध्यक्ष, जिला परिषद् | — | सदस्य |
| ११ | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन | — | सदस्य |
| (ग) | महिला प्रतिनिधि | | |
| १२ | श्रीमती रूबी,
पता— ग्राम— मोतिहारा, पंचायत— बेलवा,
प्रखंड— किशनगंज। | — | सदस्य |
| १३ | श्रीमति शोभादेवी
पता—ग्राम— पाका कुल्ला, पंचायत— मिर्जापुर,
जिला— किशनगंज। | — | सदस्य |
| (घ) | स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| १४ | श्री आशिफ सरवर,
पता— क्रिसेन्ट पब्लिक स्कूल,
सरसैयद नगर, जिला— किशनगंज। | — | सदस्य |
| १५ | श्री मनोज कुमार चौधरी,
पिता—स्व० अनुगृहित लाल,
पता— नगर पंचायत—बहादुरगंज,
जिला— किशनगंज। | — | सदस्य |



16. श्री राजीव कुमार पासवान, — सदस्य
पता—साकिन— भैंसलौंटी, पॉवरहाउस,
पंचायत— चुरली, प्रखंड— ठाकुरगंज,
जिला— किशनगंज।
17. श्री उमा शंकर दास, — सदस्य
पता— ग्राम—पंचायत— रायपुर,
प्रखंड— पोठिया, जिला— किशनगंज।
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री पवन अग्रवाल, — सदस्य
पिता— स्व० रतन लाल,
पता— नगर पंचायत— बहादुरगंज।
19. श्री मनोज कुमार यादव — सदस्य
पता— ग्राम+पोस्ट— सिंधीमारी,
प्रखंड— दिघलबैंक, जिला— किशनगंज।
20. श्री कृष्णा सिंह, — सदस्य
पता— नगर पंचायत वार्डनं०-02,
प्रखंड ठाकुरगंज, जिला— किशनगंज।
21. श्री सीपीन कुमार सिंह — सदस्य
पता— ग्राम—पंचायत— कमलपुर,
प्रखंड— कोचाधामन, जिला— किशनगंज।
- (च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री जमाल — सदस्य
पता— ग्राम— समठा, पो०— कानकी,
जिला— किशनगंज।
23. श्री शिव कुमार सिंह, — सदस्य
पता— ग्राम— नयन भिट्ठा, पंचायत— मंगुरा,
प्रखंड— दिघलबैंक, जिला— किशनगंज।
24. श्री अलाउद्दीन, — सदस्य
पता— ग्राम पंचायत— मौधो, प्रखंड— कोचाधामन,
जिला— किशनगंज।
25. श्री मनोज कुमार — सदस्य
पिता— स्व० अनुग्रह चौधरी,
एन०जी०ओ०।

(2) शर्तः—

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के



सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।

3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार के प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगे जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारियों को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरीक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार) 03/09/15

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7059

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. प्रतिलिपि:- समहर्ता, किशनगंज से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- उ०सं०वि०-26/2003

7059

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह निदेशक

ज्ञापांक:- उ०सं०वि०-26/2003

7059

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह निदेशक